संक्षिप्त

अवैध शराब सहित एक गिरफ्तार

टोंक, (निसं)। बरोनी थाना क्षेत्र पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर कार्यवाही की डीएसटी टीम ने अवैध देशी शराब 112.3 लीटर, 45.66 लीटर अग्रेजी शराब व 79.85 लीटर बीयर जप्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बरोनी थानाधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि मिली मुखबिर की सूचना पर डीएसटी टीम जब नटवाडा तिराहा शिवाड रोड पंहुची तो वहां मौजूद अरूण उर्फ रामसिंह पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर उम्र 40 निवासी नटवाडी थाना बरोनी के कब्जे से अवैध शराब के कार्टून जप्त किया। जिसमें देशी शराब के ढोला मारू के 624 पव्वें, 96 कार्टून बीयर, 24 पव्वें अग्रेजी शराब तथा अलग-अलग कार्टूनो में देशी व अग्रेजी व बीयर को जप्त कर आरोपी अरूण के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

आतंरिक मूल्यांकन का कार्य शुरू

सांभरझील, (निसं)। राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 के तहत राजकीय कन्या महाविद्यालय की बी.ए.भाग प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्राओं को 26 व 27 अप्रैल को सभी विषयों के 5प्रतिशत अंकों के असाइनमेंट/ प्रोजेक्ट वर्क दिए जायेंगे जो महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक सम्बंधित संकाय सदस्य को जमा करवाना आवश्यक है। इसके लिए महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर विस्तृत जानकारी चस्पा की गई है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट असाइनमेंट कार्य जमा नहीं करवाने वाले विद्यार्थियों को अनुपस्थित माना जायेगा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ज्ञान प्रकाश दायमा ने बताया कि इसके लिए छात्राएं खुद जिम्मेदार होंगी।

मेला व कुश्ती दंगल 29 अप्रेल को

कोटपूतली, (निसं)। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम कल्याणपुरा खुर्द स्थित जाटडे वाले मंदिर में आगामी 29 अप्रैल सोमवार को विशाल मेला व कुश्ती दंगल का आयोजन किया जायेगा। इसको लेकर गुरूवार को मंदिर परिसर में मेला कमेटी के सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। जिसमें आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की गई। सोमवार प्रातः शोभा यात्रा निकाली जायेगी। दोपहर को विशाल मेला व कुश्ती दंगल एवं शाम को धमाल कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। कुश्ती दंगल में अन्तिम कामड़े की कुश्ती 31 हजार रूपये की होगी। इससे पूर्व 28 अप्रैल रविवार की रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन होगा। यह जानकारी सुबेसिंह कसाना ने दी।

जेनेश्वरी दीक्षा समारोह आयोजित

मालपुरा, (निसं)। अग्रवाल समाज आम चौरासी प्रबंध कमेटी के तत्वाधान में आचार्य 108 इन्द्रनन्दी महाराज व परम पूज्य बालाचार्य 108 निपूर्ण नन्दी महाराज ससंघ के सानिध्य में गुरूवार को अग्रवाल सेवा सदन डिग्गी में भव्य जेनेश्वरी दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। दीक्षा समारोह में पहुंचे हजारों जैन समाज के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में ब्रह्मचारी प्रकाश चन्द पंवालिया वाले हाल निवासी सांगानेर ने वस्त्र त्याग संत समाज मे प्रवेश किया। समारोह में मौजूद जैन समाज के हजारों लोगों की उपस्थिति में दिक्षार्थी प्रकाश चन्द वस्त्र त्याग बने उत्कृष्ट नन्दी महाराज। वही दिक्षार्थी शंकुतला जैन निवासी टोंक ने भी जेनेश्वरी दिक्षा ली। जिस पर पांडाल समारोह स्थल पर जय जिनेन्द्र व आचार्य इन्द्रनन्दी के जयकारे गूंज उठे। जैन समाज के विद्वान पंडितों द्वारा दीक्षा समारोह का कार्यक्रम सम्पन्न करवाया गया। उत्कृष्ट नन्दी महाराज का केस लोचन सहित संत समाज के सभी परम्पराओं का निर्वहन किया गया।

भैंरूजी का दुग्धाभिषेक किया

पीपलू, (निसं)। नाथडी रोड पर स्थित बनी के भैरवनाथ मंदिर में विश्व कल्याण की कामना को लेकर भैरूजी का दुग्धाभिषेक किया गया। आचार्य पं. कैलाशचंद त्रिपाठी के सान्निध्य में यजमान कालूराम गुर्जर ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भैरूंजी का अभिषेक किया। इस दौरान विद्वान पंडितों ने गणपति, षोडश मातृका, नवग्रह व वास्तुपाल की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भगवान भैरवनाथ की फूलों से भव्य झांकी सजाई गई। इस अवसर पर पंडित चंद्रमोहन, ब्रह्मानंद शर्मा, दीनदयाल जैमन व भीम शर्मा सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे।

चारे से भरी पिकअप व कार भिड़ंत में दो की मौत, पांच घायल

बौंली-बामनवास, (निसं)। क्षेत्र के घाटा, नैनवाड़ी गांव के पास से गुजर रहे 8 लाइन एक्सप्रेस वे पर गुरुवार को एक सडक दुर्घटना में चारे से भरी पिकअप एवं पर्यटकों की कार के आमने-सामने से टक्कर हो गई जिसमें पिकअप चालक सहित पिकअप में सवार दो लोगों की मौत हो गई एवं पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

मित्रपुरा थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के घाटा, नैनवाडी गांव के पास से गुजर रहे एक्सप्रेस वे पर गुरुवार को एक चारे से भरी पिकअप एवं पर्यटकों की जीप में आमने-सामने से टक्कर हो गई। इस सडक दुर्घटना में पिकअप चालक विमलेश मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी भगवतपुरा थाना लालसोट की मौत हो गई एवं एक अन्य गंभीर रूप से घायल मनराज मीणा उम्र 35 वर्ष निवासी भगवतपुर की समाचार लिखे जाने तक जयपुर चिकित्सालय में मौत हो गई एवं

घायलों को बौंली चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद सवाईमाधोपुर चिकित्सालय रेफर किया।

विनोद मीणा 27 वर्ष पर्यटकों की कार का चालक अरविंद उम्र 35 वर्ष निवासी जालंधर महिला रोजी उम्र 48 वर्ष नागालैंड उसकी पुत्री बंगर उम्र 20 वर्ष उसका पुत्र आर्यन 16 वर्ष व अको निवासी नागालैंड घायल हो गए। सूचना पाकर मित्रपुरा पुलिस मय बल के मौके पर पहुंची एवं घायलों को बौंली चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद सवाईमाधोपुर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया जहां पर गंभीर घायल होने पर मनराज को

- **नागालैंड का कार सवार परिवार दिल्ली से उदयपुर सैर करने जा रहा था एवं पिकअप कोटा से चारा भरकर भगवतपुरा जा रही थी**

जयपुर रैफर किया गया जहां मनराज मीणा निवासी भगतपुर थाना लालसोट की समाचार लिखे जाने तक मौत हो गई। नागालैंड का परिवार दिल्ली से उदयपुर की सैर करने को जा रहा था एवं पिकअप कोटा से चारा भरकर अपने गांव भगवतपुरा जा रही थी। दुर्घटना में कार व पिकअप के सभी लोग चारे के नीचे दब गए जिनको पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से बहुत मुश्किल से बाहर निकाला।

कलेक्टर ने मतदान केंद्र जांचे

दूदू, (निसं)। लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण के अंतर्गत जिले में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के संबंध में जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका ने गुरुवार को दूदू उपखंड के पडासौली व गागरडू में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।

इस दौरान जिला कलेक्टर ढाका ने बूथ लेवल अधिकारियों से मतदान दलों के ठहरने की व्यवस्था, मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं बिजली, पेयजल, शौचालय एवं फर्निचर की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मतदान दिवस के दिन मतदाताओं की सुविधा के लिए छाया, पीने के साफ पानी, बैठने के लिए कुर्सियां, बुजुर्ग मतदाताओं की सहायता के लिए स्वयंसेवक, दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की पर्याप्त व्यवस्था करने तथा पहली बार मतदान करने वाले नवमतदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान करने के भी निर्देश दिए। मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ढाका ने ग्राम पडासौली के पंचायत कार्यालय में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, ग्राम विकास अधिकारी व पंचायत कार्मिकों को आमजन को मतदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए साथ ही ग्रामीणों व आमजन से संवाद किया।

कलेक्टर ने आयुक्त के साथ पार्क, बस स्टैंड, अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया

खैरथल, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने गुरुवार को नगर परिषद खैरथल के क्षेत्राधिकार में आने वाली ड्रेनेज सिस्टम, एफएसटी प्लांट, डंपिंग यार्ड, पब्लिक पार्क, अन्नपूर्णा रसोई बस स्टैंड एवं प्रस्तावित मिनी सचिवालय के स्थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त नगर परिषद श्याम बिहारी गोयल, सहायक अभियंता अनिल जाटव एवं कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा मौजूद रहे।

जिला कलेक्टर डॉ अर्तिका शुक्ला ने सबसे पहले खैरथल बस स्टैंड का निरीक्षण किया। बस स्टैंड पर मौजूद कर्मचारियों से बसों के शेड्यूल की जानकारी ली। नगर परिषद आयुक्त को जिला स्तरीय बस स्टैंड के डेवलपमेंट को लेकर प्लानिंग करने के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर शुक्ला ने अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। रसोई में साफ सफाई, टोकन काटने की व्यवस्था एवं खाने का निरीक्षण किया और रसोई संचालक को खाने की क्वालिटी ठीक रखने के लिए कहा। जिला कलेक्टर ने खैरथल तिजारा जिले के प्रस्तावित मिनी

कलेक्टर डॉ अर्तिका शुक्ला ने वर्षा ऋतु से पूर्व नालियों व नालों की सफाई कराकर ड्रेनेज प्रणाली दुरुस्त करने के निर्देश दिये।

सचिवालय की भूमि का निरीक्षण किया साथ ही मास्टर प्लान पर चर्चा कर नगर परिषद आयुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर शुक्ला ने खैरथल में नगर परिषद द्वारा बनाए गए पब्लिक पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्क के मेंटेनेंस के संबंध में नगर परिषद आयुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पार्क को डेवलप करने के लिए कहा।

जिला कलेक्टर ने नगर परिषद के डंपिंग यार्ड का निरीक्षण भी किया। डंपिंग यार्ड में डाले गए कचरे के निस्तारण के लिए निर्देशित किया साथ

- **नगर परिषद की व्यवस्थाओं को देखा, मौके पर सुधार के दिए निर्देश**

ही एमआरएफ केंद्र के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एफएसटीपी का निरीक्षण कर नगर परिषद आयुक्त को खैरथल के सभी घरों में बनाये सीवेज टैंक से निकले अपशिष्ट स्लरी को प्लांट तक लाने हेतु एक सुनियोजित प्रणाली बनाने व प्लांट को फुल कैपेसिटी पर चलाने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से खैरथल के ड्रेनेज सिस्टम की जानकारी ली और आगामी वर्षा ऋतु से पहले सभी नालियों एवं मुख्य नालों की सफाई कराने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने नगर परिषद खैरथल के अधीन आने वाली खाली भूमि का निरीक्षण भी किया व नगर परिषद आयुक्त को इन क्षेत्रों पर मास्टर प्लान के अनुसार प्लानिंग कर कार्य करने के निर्देश दिए।

जेईई मेंस में लहराया परचम

आर्यन सामोता

निकिता शेखावत

श्रीमाधोपुर, (निसं)। एसबीएन ग्रुप ऑफ़ एजुकेशन श्रीमाधोपुर द्वारा संचालित स्कूल इंटिग्रेटेड कार्यक्रम एसबीएन स्कॉलर क्लासेस के अपने प्रथम वर्ष में ही एनटीए द्वारा आयोजित 2024 जेईई मेंस के दूसरे सत्र में दो छात्रों का चयन जेईई एडवांस के लिये हुआ है। क्लासेस के छात्र आर्यन सामोता पुत्र राजेन्द्र सामोता निवासी पुजारी का बास जिसने फाउंडेशन 12वीं परीक्षा के साथ प्रथम बार में ही जेईई मेंस में 91 परसेंटाइल के साथ एडवांस के लिए क्वालीफाई किया है। इसी प्रकार छात्रा निकिता शेखावत पुत्री मूलसिंह शेखावत निवासी श्रीमाधोपुर ने भी सामान्य वर्ग में प्रथम प्रयास में ही 12वीं के साथ 87 परसेंटाइल प्राप्त कर जेईई एडवांस के लिये क्वालीफाई किया है तथा 8 छात्रों ने 70 पर्सेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त किये हैं। छात्रों की सफलता पर संस्था के सचिव इंजीनियर प्रदीप धायल और निदेशक डॉ. मुकेश बल्डवाल ने खुशी व्यक्त की है तथा चयनित छात्रों के घर पहुंचकर बधाई दी।

अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों का जायजा लिया

मालपुरा, (निसं)। लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न करवाये जाने को लेकर अलर्ट मोड पर आये पुलिस के आलाधिकारियों ने गुरूवार को विधानसभा क्षेत्र के अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों का जायजा ले पुलिस जवानों के साथ शहर में रूट मार्च निकाला।

अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक रामकुमार कस्वा, पुलिस उपाधिक्षक महेन्द्र मीणा,थानाधिकारी चेनाराम बेडा ने रिजर्व पुलिस बटालियन व स्थानीय पुलिस जाप्ते के साथ विधानसभा क्षेत्र के अतिसंवेदनशील, संवेदनशील पोलिंग बूथों पर पहुंच मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया साथ ही सभी पोलिंग बूथों पर पुलिस जवानों की तैनातगी सहित मतदान के दौरान गश्त व निगरानी व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप दिया। एएसपी रामकुमार कस्वा ने बताया कि चुनाव के दौरान मतदाता निडर होकर भय मुक्त मतदान

एएसपी रामपकुमार कस्वा, डीएसपी महेन्द्र मीणा आदि ने पुलिस जवानों के साथ शहर में रूट मार्च निकाला।

कर लोकतंत्र का पर्व मनाते हुये अपनी सरकार चुने। इसके लिये पुलिस प्रशासन की और से सुरक्षा के पुख्ता इंतेजामात किये गये है। शांति व कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। मतदान केन्द्र पर बिना आईडी के मतदान नहीं होगा और ना ही मतदान कक्ष में मोबाइल ले जाने की भी स्वीकृति नहीं होगी।

निर्वाचन विभाग ने भी मतदान से एक दिन पूर्व सभी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। पोलिंग बूथो पर देर रात तक पहुंची पोलिंग पार्टियों से व्यवस्थाओं का फीडबैक ले आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

आरटीआई के तहत निर्माणाधीन कार्य पूर्ण की जानकरी मांगी

फुलेरा, (निसं)। फुलेरा जंक्शन के रेलवे-स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण रेल यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है। इसके चलते उक्त असुविधाओं के समाधान के लिए पूर्व पालिकाध्यक्ष मनोज आहुजा व समाजसेवी डॉ. पुखराज स्वामी के संयुक्त नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने गुरुवार को मण्डल रेल प्रबन्धक के कार्यालय पर पहुंचकर सूचना के अधिकार के तहत निर्माणाधीन कार्य पूर्ण की जानकरी मांगी।

ज्ञापन द्वारा नवीन निर्माणाधीन फुट ओवरब्रिज का कार्य कब तक प्रारंभ होगा तथा इसमें 'एस्केलेटर व लिफ्ट की कितनी संख्या होगी।' नवीन स्वीकृत अजमेरी गेट एलसी 1 गेट पर अण्डरपास का कार्य कब तक प्रारंभ होगा साथ ही नवीन स्वीकृत इलेक्ट्रिक लोको शेड किस श्रेणी का होगा तथा किस स्थान पर निर्मित होगा। काचरोदा (जयपुर लाईन) रेलवे फाटक पर रेल परिसर में टूटे हुए सड़क मार्ग का पुनः

- **प्रतिनिधि मंडल ने डीआरएम को ज्ञापन दिया**

निर्माण हो। दैनिक रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रतलाम, बीकानेर इंटरसिटी जैसी ट्रेनों में जनरल कोचों की बढ़ोत्तरी हो।

रेलवे स्टेशन के बाहर कार पार्किंग की निविदा जल्द जारी हो। प्लेटफार्म वेंडर्स की पूर्व से चार गुणा बढाई फीस आदेशों को अविलंब रूप से पुनः वापिस किया जाए तथा करोड़ों रूपय व्यय से फुलेरा जंक्शन पर हो रहे निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग को रोककर किये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच हो और संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों को श्रेष्ठ कार्य हेतु पाबन्द किया जाये। इस पर डीआरएम के निजी सहायक ने शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। साथ ही चाही जानकारियां संग्रहित कर उपलब्ध करवाने के लिए संतुष्ट किया।

चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्य, जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें : प्रवीण गुप्ता

टोंक, (निसं)। लोकसभा चुनाव-2024 के तहत राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान को लेकर गुरुवार को टोंक के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित मतदान दलों के तृतीय प्रशिक्षण, गंतव्य स्थल पर उनकी रवानगी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामान्य पर्यवेक्षक दीप्रवा लाकरा, पुलिस पर्यवेक्षक के. नारायण, व्यय पर्यवेक्षक मयूर गजानन कांबले, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा, पुलिस अधीक्षक संजीव नैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश चौधरी समेत सभी एआरओ मौजूद रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने टोंक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाये गए स्ट्रांग रूम, विभिन्न काउंटर, सुविधा केंद्र आदि की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला परिषद के पुराने भवन में बनाए गये इंट्रीग्रेटेड कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि मिलने वाली सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि मतदान दिवस पर मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। मतदान केंद्र पर रैंप, पीने के पानी, छाया, व्हील चेयर सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाए। साथ ही, हर मतदान केंद्र पर सहायता के लिए वॉलिंटियर्स रहे।

लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान 26 अप्रैल को होने वाले मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिये 25 अप्रैल गुरुवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टोंक से मतदान दल रवाना हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. सौम्या झा ने कहा कि सभी मतदान दलों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी मतदान दल भली प्रकार से स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में मतदान का कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान दलों को अपने निर्धारित रूट के अनुसार अपने आवंटित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करवाने की तैयारी करनी है। साथ ही, आवंटित मतदान केंद्र पर रहकर अपने उतरदायित्वों को पूरा करेंगे।

उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र में भी मतदान दलों के ठहरने तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। चुनाव में लगे अधिकारी, कर्मचारी किसी प्रकार का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव कार्य निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। मतदान केंद्र की तैयारी से लेकर 26 अप्रैल को निर्धारित समय पर मॉक पोल करवाकर प्रातः 7 बजे मतदान प्रारंभ करना है, जो सायं 6 बजे तक निरंतर चलेगा। सभी अधिकारी, कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः

- **मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के साथ 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य**

पालना सुनिश्चित करें। राजकीय महाविद्यालय टोंक से तृतीय प्रशिक्षण के पश्चात चारों विधानसभा के लिये मतदान दलों को ईवीएम व चुनाव सामग्री देकर रवानगी दी गई। साथ ही, मतदान दलों के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी दिये गये हैं। मतदान दलों के प्रशिक्षण व रवानगी के अवसर पर सामान्य पर्यवेक्षक दीप्रवा लाकरा, पुलिस पर्यवेक्षक के. नारायण, व्यय पर्यवेक्षक मयूर गजानन कांबले, पुलिस अधीक्षक संजीव नैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश चौधरी समेत सभी एआरओ मौजूद रहे।

लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे। वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र और राज्य सरकार, लोक उपक्रम, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 142/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री रणधावा चौधरी पुत्र श्री घूरे सिंह निवासी वार्ड नं. 55 शनि धाम आश्रम, लक्ष्मण डूंगरी दिल्ली बाईपास रोड, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री शनि हंस वन एवं पर्यावरण विकास समिति प्रयास पता शनि धाम आश्रम, लक्ष्मण डूंगरी दिल्ली बाईपास रोड, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध मे अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध मे आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले मे निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 27.06.2024
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
मोहर अदालत

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 31/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री अजय लोचन माथुर पुत्र श्री नरेन्द्र माथुर निवासी 475 विजय नगर, अलवर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास विजय लक्ष्मी माथुर मेमोरियल ट्रस्ट, अलवर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 27.06.2024
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर
मोहर अदालत

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 302/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम शीतल प्रसाद शर्मा वगैरह पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल शर्मा जाति ब्राह्मण विवाद स्थान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाते व लॉकर शाखा चाकसू
मृतक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाते व लॉकर की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 14.05.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम कन्हैयालाल शर्मा पुत्र स्व. श्री शिव सहाय शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मिश्रा भवन, कोट मोहल्ला वार्ड नं. 6 (नया वार्ड नं. 12) चाकसू जिला जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 24 माह 05 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 26 माह 03 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या 11, जयपुर महानगर
स्थान मुख्यालय सांगानेर
मोहर अदालत

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं महा. मजि. (पश्चिम) जयपुर
हर्ष कालरा विरूद्ध आम जनता
वाद बाबत- I.T.
वाद संख्या- 103 सन् 2024
वनाम हर आम जनता जाति...स्थान...ने आपके विरूद्ध...के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 03 माह 05 सन् 2024 को दिन में 7.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के वाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 25 माह 04 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
रीडर
सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (पश्चिम) जयपुर महानगर द्वितीय
मोहर अदालत

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 2859/2024
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम (1) राधा देवी पुत्री स्व. बाबूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी जमवारामगढ जिला जयपुर (2) पुरूषोत्तम दत्तक पुत्र स्व. बाबूलाल शर्मा निवासी राधाकिशन का कुण्ड चौकडी रामन्द्रजी जयपुर
मृतक बाबूलाल शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 16.05.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम बाबूलाल शर्मा पुत्र स्व. मन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नं. 146 जयसिंह खोर गणेशजी मंदिर के सामने, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 16 माह 05 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 22 माह 04 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीगण ने मृतक बाबूलाल शर्मा के नाम प्रा. पत्र में वर्णित सम्पत्ति बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ